तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल0आर0 / 1630 / 2005 / बाड़मेर** **राजस्थान सरकार बनाम कनीराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री अर्चना गौतम, उप राजकीय अधिवक्ता अपीलांट

रेस्पोडेंट बावजूद सूचना के अनुपस्थित

——

निर्णय

दिनांकः— 22.01.2026

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपील संख्या 16 / 2003 बउनवानी कनीराम बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 को ग्राम जैसार की आराजी खसरा नंबर 88 / 7 में से 24 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 17.07.1979 को किया गया था किन्तु आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 के तहत अपर कलक्टर, बाड़मेर के न्यायालय में पेश किया । अपर कलेक्टर, बाड़मेर ने अपने निर्णय दिनांक 21.10.1992 के द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार कर रेस्पो0 को किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया । अपर कलेक्टर, बाड़मेर के उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के न्यायालय में पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.07.2003 के द्वारा स्वीकार कर आवंटन आदेश को बहाल रखा । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट राज0 सरकार ने यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 31.07.2003 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 को विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 17. 07.1979 को किया गया था एवं उसे नियमानुसार भूमि का कब्जा भी सुपुर्द कर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार अंकित कर दिया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल0आर0 / 1630 / 2005 / बाड़मेर** **राजस्थान सरकार बनाम कनीराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	था, किन्तु उसके द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् भी आवंटन शर्तो की पालना में आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की गई जबकि उसे आवंटन शर्तो की पालना करना अनिवार्य था । आवंटन आदेशों की शर्तो का उल्लघंन करने की स्थिति में नियम 14 (4) के तहत कभी भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है । इसी कारण अपर कलेक्टर, बाडमेर ने रेस्पो0 / आवंटी का आवंटन निरस्त किया था जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर ने बिना किसी ठोस कारण के रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर आवंटन आदेश को बहाल रखने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2003 निरस्त किया जावे तथा अपर कलेक्टर, बाड़मेर का आदेश दिनांक 21.10.1992 बहाल रखा जावे । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया । हमनें अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपील में हुए विलंब के संबंध में जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है । गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो0 / आवंटी को मौजा जैसार के खसरा नंबर 88 / 7 में 24 बीघा भूमि का दिनांक 17.07.1979 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था । उक्त आवंटन के विरूद्ध तहसीलदार, चोहटल द्वारा अपर कलेक्टर, बाड़मेर के न्यायालय में आवेदन पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयाजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत पेश कर कथन किया कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में आवंटन पश्चात् काश्त नहीं की गई है। अतः आवंटन आदेश निरस्त किया जावे । अपने कथनों की पुष्टि में तहसीलदार ने संवत् 2043, 2044, 2046 व 2047 की खसरा गिरदावरियां पेश की तथा पटवारी हल्का धारासर की मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि कनीराम वल्द पुनमाराम कौम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल0आर0 / 1630 / 2005 / बाड़मेर** **राजस्थान सरकार बनाम कनीराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ब्राह्मण निवासी धारासर को ग्राम जैसार के खसरा नंबर 88 / 7 में 24 बीघा भूमि अन्तयोद्य आवंटन के तहत दिनांक 17.07.1979 को परगना अधिकारी, बाड़मेर द्वारा गैर खातेदारी दस साला आवंटन की गई थी मगर उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा व काश्त नहीं है तथा ना ही आवंटन शर्तो की पालना की गई है अतः आवंटन खारिज किया जावे । पटवारी हल्का की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 01.01.1991 एवं खसरा गिरदावरियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी का आवंटन आदेश दिनांक 17.07.1979 के पश्चात् आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही उसके द्वारा आवंटन की शर्तो के तहत आवंटित भूमि पर काश्त ही की गई है । आवंटन पश्चात् आवंटन की शर्तो का पालना किया जाना आवश्यक है । इसी कारण अपर कलेक्टर, बाड़मेर ने रेस्पो0 / आवंटी के पक्ष में विवादित भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 17.07.1979 को खारिज किया था जो विधि सम्मत् आदेश था किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर ने पत्रावली पर उक्त साक्ष्यों के विपरीत कोई अन्यंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के बावजूद सरसरी तौर पर आवंटी / रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर अपर कलेक्टर, बाड़मेर के आदेश दिनांक 21.10.1992 को निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् निर्णय नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाती है । परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2003 निरस्त किया जाता है तथा अपर कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.1992 बहाल रखा जाता है । तहसीलदार, चौहटन को आदेश दिये जाते है कि वे मौजा जैसार स्थित खसरा नंबर 88 / 7 रकबा 24 बीघा भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज करे । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	